माननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है । पिछले ढाई वर्षों में हमने अनेक समस्याओं के बावजूद राज्य के विकास की मजबूत नींव डाली है और आने वाले समय में हम एक सशक्त, समृद्ध तथा समर्थ राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिये दृढ़संकल्प हैं ।

2. पिछले तीन वर्षों में दूसरी बार हमें भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा है । राज्य की सभी 98 तहसीलें सूखाग्रस्त हैं । समय पर वर्षा नहीं होने से धान की बोनी तथा उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है । सूखे का सामना करने के लिये सरकार ने युद्ध-स्तर पर राहत कार्य आरम्भ किये और यह सुनिश्चित किया कि किसी एक घर में भी अनाज की कमी न रहे । इसके साथ ही जितना भी धान का उत्पादन हुआ उसे राज्य सरकार ने स्वयं के संसाधनों से तथा भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेकर खरीदा और किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलवाया ।

3. यह बताने में मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी राज्य की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति बरकरार रही । छत्तीसगढ़ संभवत: देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जो पिछले दो वर्षों से अधिक समय में एक दिन के लिये भी न तो भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट में रहा, न ही अर्थोपाय अग्रिम लेने की आवश्यकता हुई । वित्तीय अनुशासन के साथ विकास हमारा मूल मंत्र है और भविष्य में भी हम इसका पालन करते रहेंगे । राज्य के वित्तीय प्रबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर हुई बैठकों में भी सराहा गया है ।

4. सरकार का स्थापना व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत तक सीमित रखने के निर्णय पर सरकार अभी भी स्थिर है, जिससे विकास के कार्यों के लिये कभी भी राशि की कमी नहीं हो पाई । इस वर्ष वेतन भत्तों पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 32 प्रतिशत होना संभावित है और वर्ष 2003-04 में इसे 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया है । सरकार की आय में वृद्धि, अनुत्पादक व्यय में कमी तथा उत्तम वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास की योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश की दो करोड़ जनता को मिल रहा है ।

5. अब मैं माननीय सदन के समक्ष राज्य की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के संकेतक प्रस्तुत करना चाहूँगा । राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर वर्ष 2000-01 में 26061 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 30265 करोड़ रूपये होना अनुमानित है । इस प्रकार इसमें 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । इस आधार पर प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय 12590 रूपये से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 14481 रूपये तक पहुंच गई । इस वृद्धि का प्रमुख कारण वर्ष 2001-02 में कृषि तथा प्राथमिक क्षेत्र में हुआ बेहतर उत्पादन था । प्राथमिक क्षेत्र में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस वृद्धि का सीधा लाभ ग्रामीण जनता को हुआ । द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें उद्योग, निर्माण, उर्जा उत्पादन आदि गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, में वृद्धि 7.8 प्रतिशत हुई, जो प्राथमिक क्षेत्र में हुई वृद्धि की तुलना में कम होने पर भी संतोषप्रद है । तृतीयक क्षेत्र, जो मुख्यत: सेवा गतिविधियों से संबंधित है, में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि रही । राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 37 प्रतिशत है । विकसित राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित होने का एक महत्वपूर्ण संकेतक यह है कि उद्योग, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र का कुल योगदान राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अधिक हो । आने वाले समय में नई उद्योग नीति, ऊर्जा नीति तथा अधोसंरचना निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन से इन क्षेत्रों में अधिक वृद्धि संभावित है ।

6. वर्ष 2001-02 में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर संतोषजनक रही । खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 2000-01 में 40.04 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 66.70 लाख मेट्रिक टन हुआ, जो कि लगभग 66 प्रतिशत की वृद्धि है । परन्तु वर्ष 2000-2001 भयंकर सूखे का वर्ष था, जिसके कारण उस वर्ष में कृषि उत्पादन बहुत कम हुआ था । चालू वर्ष में भी सूखे के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है । हमारी सरकार का यह प्रयास है कि एक ओर बेहतर सिंचाई सुविधाओं द्वारा वर्षा पर निर्भरता कम की जाए तो दूसरी ओर फसल चक्र में भी परिवर्तन किया जाए और नई फसलों के उत्पादन की ओर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए ।

7. वर्ष 2002-03 दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है । दसवीं योजना के लिये राज्य की कुल आयोजना 11 हजार करोड़ रूपये निर्धारित की गयी है । चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत आयोजना 1757 करोड़ रूपये निर्धारित की गई थी । आयोजना व्यय में वृद्धि सरकार की प्राथमिकता है और यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि चालू वर्ष में हमारी पुनरीक्षित राज्य आयोजना बढ़ाकर लगभग 2043 करोड़ रूपये प्रस्तावित की गई है । अगले वर्ष के लिये राज्य आयोजना का निर्धारण योजना आयोग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, परन्तु विकास की प्राथमिकताओं और राज्य के संसाधनों के देखते हुए शासन द्वारा वर्ष 2003-04 के बजट में राज्य आयोजना क्षेत्र में लगभग 2847 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । आगामी वर्ष में सामान्य आयोजना के अन्तर्गत लगभग 1538 करोड़ रूपये, आदिवासी क्षेत्र उप योजना अन्तर्गत लगभग 1020 करोड़ रूपये तथा विशेष घटक उप योजना में लगभग 230 करोड़ रूपये प्रावधानित किया गया है ।

8. राज्य आयोजना के अतिरिक्त केन्द्र क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा निगम प्रवर्तित योजना को जोड़कर कुल आयोजना व्यय वर्ष 2003-04 में लगभग 4347 करोड़ रूपये होगा जो वर्ष 2002-03 में लगभग 2792 करोड़ रूपये ही था । इस प्रकार कुल आयोजना व्यय में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

<u>विकास कार्य</u>

9. पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा सामाजिक विकास के अनेक कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं । ऐसे भी कुछ कार्यक्रम हैं, जिनके स्वरूप में राज्य के परिदृश्य को देखते हुए परिवर्तन किया गया है । अब यह समय ऐसे सभी कार्यक्रमों से होने वाले लाभ के आकलन का है तथा यह प्रयास किया जाना है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ सही हितग्राही तक पहुँच सके ।

10. शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं । पूरे राज्य की सभी प्राथमिक शालाओं के छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें हमने सफलता पाई है । इसके लिये आगामी वर्ष के बजट में 63 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । शिक्षण सत्र में परिवर्तन

किया जा रहा है, जिससे शिक्षण कार्य में निरन्तरता बनी रहे और राज्य के छात्र स्कूल शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् राज्य के बाहर की उच्च तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में समय पर दाखिला ले सकें । कक्षा एक से आठ तक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान के लिये आगामी वर्ष के बजट में लगभग 124 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये लगभग 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लिये 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

11. छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा एक विशिष्ट पहचान बनी है । अब तक 9 निजी विश्वविद्यालय अधिसूचित किये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त शासन द्वारा सरगुजा तथा बस्तर जिले में एक-एक विश्वविद्यालय आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है । तकनीकी शिक्षा तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा के स्तर पर प्रभाव पड़ रहा था । इस हेतु रिक्त पदों को संविदा पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है । रायपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में बायोटेक्नॉलोजी का एक नया पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है । आगामी वर्ष में राज्य के सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा नई प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये लगभग सवा करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । एम.सी.ए. पाठ्यक्रम की प्रयोगशाला के लिये 30 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है । कोहका, तिल्दा-नेवरा तथा रायपुर में बी.सी.ए. कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे । मिनी आई.टी.आई. बस्तर, माना, गौरेला, खैरागढ़, अम्बिकापुर और राजनांदगांव में मशीनरी और उपकरण क्रय के लिये वर्ष 2003-04 में लगभग 4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

12. चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बिलासपुर चिकित्सा महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिये आगामी वर्ष 15.5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । बिलासपुर जिला अस्पताल चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर को हस्तांतरित किया गया है । रायपुर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रायपुर में एम.आर.आई. मशीन की स्थापना के लिये एक करोड़ रूपये तथा अन्य उपकरण क्रय के लिये

सवा करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रायपुर में ही हृदय रोग विभाग को निजी संस्था के माध्यम से सशक्त किया गया है । आने वाले वर्षो में हृदय रोग के निदान के लिये उत्कृष्ट नैदानिक तथा शल्य क्रिया सेवाएँ राज्य में ही उपलब्ध हो सकेंगी । चालू वर्ष में ही दूरबीन प्रणाली से शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । न्यूरोसर्जरी तथा मनोरोग चिकित्सा के विभाग चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में चालू वर्ष में ही आरम्भ किये जा चुके हैं । आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में आयुर्वेद फार्मेसी भवन और औषधि प्रयोगशाला के निर्माण के लिये आगामी वर्ष में 40 लाख रूपये का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में सात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा ।

13. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विश्वबैंक तथा नाबार्ड की सहायता से वर्ष 2003-04 में 1400 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जायेगा । केन्द्र सरकार से पोषण आहार की आपूर्ति में विलम्ब के कारण राज्य सरकार द्वारा पोषण आहार के लिये वर्ष 2003-04 में लगभग 53 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है । सरगुजा जिले में मिनीमाता पोषण आहार योजना आरम्भ की गई है, जिससे कम वजन की गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा । सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में नि:शक्तजनों के लिये राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी वर्ष में लगभग साढ़े तीन करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त दृष्टि एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिये संस्था भवनों का निर्माण हेतु वर्ष 2003-04 में लगभग सवा एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । अन्त्योदय अन्न योजना के लिये लगभग 17 करोड़ रूपये तथा अन्नपूर्णा योजना के लिये 44 लाख रूपये का प्रावधान आगामी वर्ष के बजट में राज्यांश तथा परिवहन व्यय के लिये सम्मिलित किया गया है ।

14. राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकास की गति भिन्न रहने के कारण क्षेत्रीय असन्तुलन बना है । विशेष रूप से राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए हैं । यह क्षेत्र मुख्यत: आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं । इनके विकास को एक नई गति दिये जाने के लिये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्यक्रमों के प्रावधानों में अभूतपूर्व वृद्धि की जा

रही है । आदिवासी उप योजना का प्रावधान चालू वर्ष में 745 करोड़ रूपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष में 1020 करोड़ रूपये किया गया है । इसी प्रकार विशेष घटक योजना का प्रावधान इस वर्ष 151 करोड़ रूपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष में 230 करोड़ रूपये किया गया है । मंत्रि-परिषद् द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिये एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की गई है । दिनांक 07 जनवरी, 2003 को जगदलपुर तथा दिनांक 21 जनवरी, 2003 को अम्बिकापुर में मंत्रि-परिषद् की बैठकें आयोजित की गई और बस्तर तथा सरगुजा पैकेज की घोषणा की गई । आगामी वर्ष में बस्तर तथा सरगुजा पैकेज के लिये प्रावधान बजट में सम्मिलित किये गये हैं ।

15. बस्तर पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में 105 सौ सीटर प्राथमिक तथा 51 सौ सीटर माध्यमिक आश्रम शालाओं के निर्माण के लिये लगभग 17 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । रायपुर में बस्तर, कांकेर तथा दंतेवाड़ा जिले के छात्रों के लिये एक-एक 50 सीटर बालक तथा बालिका छात्रावास के निर्माण के लिये 12 लाख रूपये, भोपालपटट्नम, दंतेवाड़ा तथा सुकमा में 50-50 सीटर पोस्टमैट्रिक छात्रावास के लिये 14 लाख, 6 सौ सीटर प्रीमैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास के लिये 67 लाख, बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये साढ़े 5 करोड़ और रवीन्द्रनाथ टैगोर सिविल अस्पताल के जीर्णोद्धार तथा उन्नयन के लिये 50 लाख रूपये का प्रावधान आगामी वर्ष के बजट में रखा गया है । प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों को चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से टेलीमेडिसिन के लिये जोड़ा जायेगा । इसके लिये प्रारम्भिक रूप से आगामी वर्ष के बजट में जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर तथा मरवाही में यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये लगभग डेढ़ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

16. सरगुजा पैकेज के अन्तर्गत सरगुजा, कोरिया और जशपुर जिलों के विकास के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं । जशपुर में कन्या क्रीड़ा परिसर के लिये आगामी वर्ष में लगभग साढ़े 24 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है । तीनों जिलों में 26 प्रीमेट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावासों के लिये 1 करोड़ 70 लाख रूपये, पहाड़ी कोरबा क्षेत्र में 50 आश्रम शालाओं के लिये लगभग सवा 3 करोड़ रूपये, कन्या शिक्षा परिसर (राजपुर) के लिये लगभग 85 लाख रूपये, 21 बालक-बालिका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिये लगभग सवा करोड़ रूपये, पद्मश्री

राजमोहिनी देवी विश्वविद्यालय के लिये साढ़े 5 करोड़ रूपये, जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर तथा जशपुर के उन्नयन के लिये साढ़े 5 करोड़ रूपये, पण्डो विकास अभिकरण की स्थापना के लिये 70 लाख रूपये, भुजिया विकास अभिकरण के लिये 30 लाख रूपये, सोनहत में स्टेडियम निर्माण के लिये 25 लाख रूपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांदो तथा रघुनाथनगर के 10 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन के लिये 20 लाख रूपये, जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर के 300 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन के लिये 50 लाख रूपये, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव का 30 बिस्तर से 100 बिस्तर में उन्नयन तथा राजपुर में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना के लिये 50 लाख रूपये और जशपुर में नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिये 50 लाख रूपये के प्रावधान वर्ष 2003-04 के बजट में सम्मिलित किये गये हैं ।

17. बस्तर तथा सरगुजा पैकेज के अन्तर्गत ही इन 6 जिलों में 500 सड़कों और 203 पुलों का निर्माण किया जायेगा । इसके लिये नाबार्ड से सहायता ली जायेगी । प्रारम्भिक रूप से आगामी वर्ष के बजट में इस प्रयोजन के लिये 32 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । नाबार्ड से परियोजनाओं की स्वीकृति उपरान्त प्रत्येक प्रकरण में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जायेगा । इसके साथ ही 227 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये आगामी वर्ष के बजट में साढ़े 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है । इन कार्यों के लिये भी नाबार्ड की सहायता ली जायेगी । सरगुजा जिले की खूटपाली वृहद् सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण के लिये आगामी वर्ष में 10 लाख रूपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है ।

18. छत्तीसगढ़ राज्य में अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिये रायपुर में स्टडी सर्कल की स्थापना की गई है । इसके लिये आगामी वर्ष के बजट में लगभग 42 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उड़ान प्रशिक्षण दिये जाने के लिये रायपुर में उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जायेगी । इसके लिये लगभग डेढ़ करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है । अल्पसंख्यक समुदायों के लिये लगभग डेढ़ करोड़ रूपये की लागत से चार पोस्टमैट्रिक छात्रावास स्थापित किये

जायेगे । राज्य में उर्दू अकादमी की स्थापना के लिये 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

19. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के क्षेत्र में 62500 मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण क्षमता के लिये भण्डारगृहों का निर्माण राज्य भण्डारगृह निगम के माध्यम से किया जा रहा है । उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिये उपभोक्ता फोरम का गठन सभी जिलों में किया जा चुका है और राज्य स्तर पर उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग का भी गठन किया गया है । राज्य सरकार द्वारा गतवर्ष तथा इस वर्ष स्वयं के स्त्रोतों से तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त साख सीमा के आधार पर लगभग 15 लाख मेट्रिक टन धान उपार्जन किया गया । धान उपार्जन की हानि की प्रतिपूर्ति के लिये चालू वर्ष में लगभग 276 करोड़ रूपये तथा आगामी वर्ष में 224 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इन दो वर्षो में उपार्जन पर कुल हानि लगभग 750 करोड़ रूपये संभावित है । परन्तु राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है ।

20. शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवासहीन गरीबों के लिये राजीव शहरी निर्धन आवास योजना आरम्भ की जा रही है । आगामी वर्ष में पांच हजार आवास बनाये जाने का लक्ष्य है । इसके लिये 3 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । बेहतर कर संग्रहण के कारण नगरीय प्रशासन विभाग को करों के हिस्से के रूप में अधिक राशि उपलब्ध कराया जाना संभव हो रहा है । इससे नगरीय निकायों को विकास योजनाएँ संचालित करने में सहायता मिली है । नवीन राजधानी के निर्माण के लिये 75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

21. राजधानी में विधि शिक्षा के लिये नेशनल लॉ स्कूल की स्थापना की जायेगी । इसके लिये आगामी वर्ष में बजट में 20 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है । यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था होगी जिससे विधि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित होगा । प्रदेश की जनता को समय पर न्याय प्राप्त हो सके इसके लिये जशपुर राजस्व जिले को सिविल जिला बनाया जा रहा है । सुदूर क्षेत्रों बीजापुर तथा प्रतापपुर में व्यवहार न्यायाधीश की पदस्थापना भी की जा रही है ।

22. प्रदेश के दो जिलों बस्तर तथा दंतेवाड़ा में योजना आयोग से प्राप्त राशि के आधार पर राष्ट्रीय समविकास योजना प्रारम्भ की गई है । इन दोनों पिछड़े जिलों के विकास के लिये इस योजना में अगले तीन वर्षों तक प्रति जिला 15 करोड़ रूपये प्रति वर्ष व्यय किया जायेगा । राज्य के सर्वाधिक पिछड़े 40 विकास खण्डों में विश्व बैंक की सहायता से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा । इसके लिये आगामी वर्ष में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । राज्य में कर संग्रहण में हुई वृद्धि के कारण हम त्रिस्तरीय पंचायतों को मूलभूत सेवाओं के लिये अनुदान के रूप में अधिक राशि उपलब्ध कराने में सक्षम हुए हैं ।

23. जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है । किसानों को सही गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराये जाने के लिये राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन किया गया है । इसके लिये आगामी वर्ष के बजट में 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । कृषि साख सुदृढ़ीकरण के लिये वर्ष 2003-04 में सहकारी संस्थाओं को 25.5 करोड़ रूपये की अंशपूँजी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । सहकारिता के क्षेत्र में दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाने की अंशपूँजी के लिये रूपये 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सूखे की मार झेल रहे किसानों को फसल बीमा के अन्तर्गत लगभग 105 करोड़ रूपये की बीमा राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।

24. कृषि के साथ ही पशुपालन की गतिविधियाँ लम्बे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में आय का एक स्त्रोत रही हैं । रायगढ़ तथा जशपुर जिलों में एकीकृत डेरी विकास परियोजनाएँ आरम्भ की गई है । कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 8 वाहन उपलब्ध कराए जायेंगे । रायपुर तथा महासमुंद जिलों में निजी संस्थाओं के सहयोग से नस्ल सुधार कार्यक्रम भी आरम्भ किया जायेगा । रायगढ़ और बस्तर प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष प्रावधान किया गया है । राज्य में बटेर, बतख, मुर्गी, बकरी तथा खरगोश पालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये भी प्रावधान किया गया है ।

25. कृषि की गतिविधियाँ तब तक सफल नहीं हो सकेंगी जब तक पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध न कराई जाए । सतही जल तथा भूमिगत जल

संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन सुनिश्चित करने की दृष्टि से पिछले दो वर्षों में नलकूपों के खनन तथा सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है । राज्य की पूरी सिंचाई क्षमता को विकसित करने के लिये लगभग 25 हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी । इतनी राशि राज्य के संसाधनों से प्राप्त किया जाना संभव नहीं है । अतः इस हेतु नाबार्ड तथा अन्य संस्थाओं की सहायता ली जायेगी । अधूरी पड़ी परियोजनाओं को भी चिन्हित किया जाकर उन्हें पूर्ण करने के लिये समय सीमा निर्धारित की गई है । हसदेव बांगो परियोजना पूर्ण करने के लिये अगले वर्ष 100 करोड़ रूपये का प्रावधान तथा धमतरी जिले में राजीव समोदा व्यपवर्तन मध्यम परियोजना के लिये 65 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । नाबार्ड की सहायता से कुल 439 सिंचाई परियोजनाएँ आरम्भ की जायेंगी, जिनके लिये प्रारम्भिक रूप से आगामी वर्ष के बजट में लगभग 21 करोड़ रूपये का प्रावधान है । सात नई मध्यम परियोजनाओं के लिये 1.5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । केलो वृहद् परियोजना के सर्वेक्षण के लिये 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । वृष्टिछाया क्षेत्र में जल संवर्धन हेतु 54 एनीकट तथा अन्य क्षेत्रों में 45 एनीकट निर्माण के लिये 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के संरक्षण कार्य में जनता की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के लिये आगामी वर्ष में नए जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे । इसके लिये लगभग 20 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है ।

26. आधारभूत अधोसंरचनाओं में सड़कों का एक अहम स्थान है । पिछले ढाई वर्षों में इस क्षेत्र में हुए कार्य आप सभी के सामने हैं । आगामी वर्ष भी सड़कों के विकास के लिये हम कृतसंकल्प हैं । यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों को चिन्हित कर निर्माण, उन्नयन आदि कार्यों के लिये आगामी वर्ष में लोक निर्माण विभाग को पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध कराया गया है । 6 कोरीडोर मार्गों के लिये आगामी वर्ष के बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । रेल मार्गों पर 10 ओव्हर ब्रिज तथा अण्डर ब्रिज बनाने के लिये आगामी वर्ष के बजट में 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । मार्गों, पुलों आदि के निर्माण के लिये भी नाबार्ड से सहायता प्राप्त की जायेगी । कुल 734 सड़कों और 269 पुलों के लिये आगामी वर्ष के बजट में प्रारम्भिक रूप से लगभग 40 करोड़ रूपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है । इसके अतिरिक्त एशियन

डेवेलपमेंट बैंक से अगले पांच वर्षों में 1000 करोड़ रूपये का ऋण प्राप्त किया जा रहा है । इस परियोजना के लिये राज्यांश के रूप में लगभग 600 करोड़ रूपये अगले पांच वर्षों में व्यय किये जायेंगे । इस प्रकार अगले पांच वर्षों में राज्य की सड़कों के निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण के लिये 16 सौ करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी 380 सड़कों का निर्माण आरम्भ किया जा चुका है और इनमें से 60 सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है । आगामी वर्ष के बजट में इन सड़कों के अनुरक्षण के लिये पर्याप्त बजट प्रावधान किया जा रहा है । निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे और निर्माण कार्य का सतत् वैज्ञानिक रूप से पर्यवेक्षण होता रहे, इसके लिये सभी जिलों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई है और 6 चलित प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की गई है । प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के लिये रूपये 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

27. स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता की आवश्यकता से किसी को इंकार नहीं है । ग्रामीण तथा शहरी जनता को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये चालू परियोजनाओं के अलावा पांच नई परियोजनाएँ आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित की जा रही हैं । 01 दिसम्बर, 2002 की स्थिति में राज्य में कुल 1749 पूर्ण / आंशिक रूप से स्त्रोत विहीन बसाहटों में भी स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिये कम से कम एक पेयजल स्त्रोत का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा । पेयजल के लिये खनन कार्य हेतु 75 लाख रूपये की कीमत के 8 एम.सी.बी. यूनिट क्रय किये जाने का प्रावधान आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित किया गया है । दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में पेयजल स्त्रोतों के निर्माण हेतु लगभग 1 करोड़ रूपये का प्रावधान एक हाइड्रोफ्रैक्चर यूनिट क्रय के लिये आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित किया गया है । जन सहभागिता से पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना स्व-जलधारा को भी बजट में सम्मिलित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ रूपये के प्रस्ताव तैयार किये जा चुके हैं । जिला जांजगीर में सलखन तथा जिला राजनांदगांव में चौकी पेयजल परियोजनाओं के लिये लगभग 82 लाख रूपये का प्रावधान आगामी वर्ष के बजट में किया गया है ।

28. राज्य के सभी 32 वन मंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है । आगामी वर्ष में 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में स्थानीय जनता के सहयोग से वन औषधियों के संरक्षण तथा संवर्धन का कार्य किया जायेगा । राज्य की अमूल्य वन सम्पदा के धरोहर की रक्षा और दोहन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा । वन्य क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिये राज्य में 12 वन मंडलों में वन विकास अभिकरणों की स्थापना के लिये लगभग 31 करोड़ रूपये की पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है । वनों की पांच किलोमीटर परिधि में बसे ग्रामों में सभी विभागों की विकास योजनाओं में वन विभाग समन्वयक का कार्य करेगा । यह प्रयोग धमतरी जिले से प्रारम्भ किया जा रहा है ।

29. छत्तीसगढ़ भारत के ऊर्जा केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है । आने वाले समय में भी ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ न केवल अपनी आवश्यकता के लिये बल्कि निर्यात के लिये भी पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन करेगा । उद्योग, घरेलू तथा कृषि कार्य हेतु पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिये आगामी वर्ष में सात नये अति उच्चदाब सब स्टेशन, 32 नये उच्चदाब सब स्टेशन, 1660 नये वितरण ट्रान्सफार्मर, 1350 कि.मी. नई 11 के.व्ही. लाईन तथा 6000 कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया है । छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के पश्चात् लोड फैक्टर 64 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में लगभग 71.5 प्रतिशत हो गया है । चार संयंत्रों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है, जिससे लगभग 100 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन होगा । अगले 3 वर्षों में 1253 दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ वन संरक्षण अधिनियम के कारण विद्युत लाईनों का विस्तार किये जाने में कठिनाई है, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास से ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया है । इसमें से दंतेवाड़ा जिले के 90 गांवों का सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकरण पूर्ण कर लिया गया है ।

30. खनिज संपदा छत्तीसगढ़ के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण संसाधन है । आगामी वर्ष में पांच हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक विशेष खनिज अन्वेषण कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है । इसके साथ ही खनिज प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये 38 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है । कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिये कोयला प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी । कोयला, लौह अयस्क, हीरा, सोना, ताँबा आदि खनिजों की खोज के

लिये 13 कम्पनियों को 17611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये रिकोनेसेन्स परमिट दिये जा चुके हैं । खनिज विकास निगम अब तक मुख्यत: गौण खनिजों से संबंधित गतिविधियों में कार्य करता रहा है, परन्तु अब हीरा, बाक्साइट, लौह अयस्क आदि के उत्खनन एवं विपणन का कार्य भी निगम के माध्यम से आरम्भ किया जायेगा । राज्य खनिज विकास निगम की अंशपूँजी में भी 75 लाख रूपये का धनवेष्ठन किया जाना प्रस्तावित है ।

31. ऊर्जा तथा खनिज सम्पदा का सीधा असर राज्य के उद्योग पर परिलक्षित होगा । आज की स्थिति में राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग खनिज पर ही आधारित हैं । हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है पर साथ ही साथ यह प्रयास भी करना है कि अन्य उद्योग भी राज्य में पनपें । राज्य में निवेश प्रोत्साहन मंडल की स्थापना की गई है, जो निवेशकों के प्रस्तावों का तकनीकी परीक्षण करेगा और इस संबंध में होने वाली कठिनाईयों का निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के प्रावधानों अनुसार निवारण करेगा । इसके लिये लगभग 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । प्रौद्योगिकी के विकास के लिये एक प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष की स्थापना भी की जा रही है । इस हेतु बजट में 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । समूह आधारित उद्योगों के विकास के लिये 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

32. बड़े उद्योगों के अलावा छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प तथा हथकरघा की गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है । हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में हस्त शिल्प प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो हस्तशिल्प संबंधी गतिविधियों के लिये एक मार्गदर्शक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा । टसर रेसम विकास तथा विस्तार कार्यक्रम को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है । शासन द्वारा कपड़े की समस्त आवश्यकता की आपूर्ति हथकरघा और खादी क्षेत्र से ही किये जाने का निर्णय लिया गया है । इससे बन्द पड़ी अनेक बुनकर समितियों को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त हुई है । गत वर्ष जहां इन समितियों को मात्र 2 करोड़ रूपये के ही आदेश प्राप्त हुए थे वहाँ इस वर्ष अभी तक 4.6 करोड़ रूपये के आदेश हथकरघा और खादी समितियों को दिये जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे कारीगरों को सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है ।

33. दूरस्थ क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों की कार्य-प्रणाली को मजबूत करने के लिये पुलिस बल आधुनिकीकरण के कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है । अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के लिये लगभग 40 करोड़ रूपये के 2137 आवास निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है । चालू वर्ष में ही राज्य के सभी थानों में कम से कम एक वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी । होमगार्ड के 1000 रिक्त पदों की पूर्ति भी की जायेगी तथा पूर्व में गठित सशस्त्र बटालियन की भर्ती का कार्य भी आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा । पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना को राज्य पुलिस अकादमी के रूप में विकसित किया जायेगा तथा गौरेला में पुलिस प्रशिक्षण शाला की स्थापना की जायेगी ।

34. रायगढ़ एवं कोरबा में दो परिवहन उड़न दस्तों की स्थापना की जायेगी । राज्य की सीमा पर स्थित जांच चौकियों को एकीकृत जांच चौकियों के रूप में विकसित किये जाने का कार्य प्रगति पर है और आगामी वर्ष में यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा राज्य में सड़क परिवहन निगम स्थापित नही किये जाने का निर्णय लिया गया है । जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प दिया है उनकी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिये आगामी वर्ष के बजट में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है ।

<u>वित्तीय वर्ष 2002-03 के पुनरीक्षित अनुमान</u>

35. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2002-03 के पुनरीक्षित अनुमान माननीय सदन के समक्ष रखना चाहूँगा । वर्ष 2002-03 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ बजट में अनुमानित 5384.46 करोड़ रूपये से बढ़कर 5820.17 करोड़ रूपये होना संभावित है, जो लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि है । चालू वर्ष में आयोजना व्यय 2367.47 करोड़ रूपये से बढ़कर 2792.18 करोड़ रूपये होना अनुमानित है, जो लगभग साढ़े 17 प्रतिशत की वृद्धि है । आयोजना व्यय में वृद्धि प्रथम अनुपूरक अनुमान के समय आयोजनागत निर्माण कार्यो के लिये प्रावधानों में वृद्धि के कारण है । बजट अनुमान 2002-03 में राजस्व घाटा 495.54 करोड़ रूपये अनुमानित था और इसका पुनरीक्षित अनुमान 505.32 करोड़ रूपये है । इस प्रकार इस वर्ष राजस्व

घाटे को बजट में अनुमानित स्तर तक सीमित रखा गया है । राजकोषीय घाटे के 1450.55 करोड़ रूपये के बजट अनुमान के विरूद्ध पुनरीक्षित अनुमान 1526.92 करोड़ रूपये है ।

36. वर्ष 2002-03 में राज्य की कुल प्राप्तियॉ बजट अनुमान रूपये 6605.69 करोड़ से बढ़कर 7277.30 करोड़ रूपये होना संभावित है, जो लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि है । राज्य का कुल व्यय बजट अनुमान 6858.52 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2002-03 का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 7365.44 करोड़ होना अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2001-02 के अंतिम शेष 111.55 करोड़ रूपये में चालू वर्ष के कुल संव्यवहार को जोड़ने से कुल बजटीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान 199.69 करोड़ रूपये है, जबकि बजटीय घाटे का प्रारम्भिक अनुमान 550.30 करोड़ रूपये था ।

<u>वित्तीय वर्ष 2003-04 के बजट अनुमान</u> :-

37. अब मैं वर्ष 2003-04 के बजट के बारे में बताना चाहूँगा । इस बजट का मुख्य लक्ष्य राज्य की अधोसंरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में अधिक पूँजी निवेश कर राज्य के आर्थिक विकास को गति देना है । विकासमूलक कार्य आयोजना क्षेत्र में लिये जाते है । अत: आयोजना में व्यय में वृद्धि हमारी पहली प्राथमिकता है । इन विकासमूलक कार्यो में राज्य शासन द्वारा अच्छी अधोसंरचना तथा अच्छे प्रशासन को अपना लक्ष्य माना गया है । इस दिशा में अच्छी सड़कों, सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था, हर घर में विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सभी बच्चों को शिक्षण सुविधा तथा छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है । इन कार्यो के लिये राशि की उपलब्धता राज्य के स्वयं के संसाधनों के अलावा संस्थागत ऋणों तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से की जायेगी, मगर साथ ही यह प्रयास भी किया जा रहा है कि राज्य के स्वयं के संसाधनों में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए, जिससे अन्य राज्यों की भाँति छत्तीसगढ़ एक सीमा से अधिक ऋणबद्ध न हो जाए ।

38. वर्ष 2003-04 में कुल प्राप्तियाँ 9156.65 करोड़ रूपये और कुल व्यय 9269.50 करोड़ रूपये होगा जिसमें आयोजनेत्तर व्यय 4922.55 करोड़ रूपये और

आयोजना व्यय 4346.95 करोड़ रूपये होना प्रावधानित है । वित्तीय संव्यवहार के पश्चात् आगामी वर्ष का शुद्ध बजटीय घाटा 112.85 करोड़ रूपये होना अनुमानित है । चालू वर्ष के ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष को जोड़ने पर कुल बजटीय घाटा 312.54 करोड़ रूपये होना अनुमानित है ।

39. वर्ष 2003-04 में कुल प्राप्ति 9156.65 करोड़ रूपये में से 2652.78 करोड़ रूपये राज्य का कर राजस्व संग्रहण होगा । करेत्तर राजस्व रूपये 1114.62 करोड़ रूपये होना संभावित है । केन्द्र से करों में हिस्से के रूप में 1656.31 करोड़ रूपये और सहायक अनुदान के रूप में 1904 करोड़ रूपये की प्राप्ति संभावित है । पूँजीगत प्राप्तियों में उधार एवं अग्रिम की वसूली से 18.85 करोड़ रूपये, लोक ऋण से शुद्ध प्राप्ति 1544.19 करोड़ रूपये और लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति 265.90 करोड़ रूपये संभावित है ।

40. वर्ष 2003-04 में राज्य का कर राजस्व चालू वर्ष की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक होना अनुमानित है । यह वृद्धि मुख्यत: वाणिज्यिक कर प्राप्तियों में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि के कारण है । करेत्तर राजस्व वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक होना संभावित है । यह वृद्धि मुख्यत: कोयले पर रायल्टी की दरों में पुनरीक्षण के कारण है । कर प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा करदाताओं को सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के कारण राजस्व संग्रहण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगामी वर्ष भी बनी रहना संभावित है ।

41. आगामी वर्ष में कुल राजस्व व्यय 7669.69 करोड़ रूपये होना अनुमानित है जिसके प्रमुख मद वेतन, पेंशन तथा ऋण भुगतान हैं । वर्ष 2003-04 में भी राज्य सरकार का स्थापना व्यय अत्यन्त सीमित रहेगा । कुल व्यय में स्थापना व्यय 30 प्रतिशत से भी कम होगा । इसका अर्थ यह है कि विकास कार्यों के लिये अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

42. वर्ष 2003-04 के बजट का सबसे उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि कुल व्यय में आयोजना व्यय का प्रतिशत 46.9 प्रतिशत हो जायेगा, जो विकास कार्यों को दी जा रही उच्चतम प्राथमिकता का प्रतीक है । आयोजना व्यय में लगभग 34 प्रतिशत प्रावधान पूँजीगत कार्यो के लिये है, जिनसे नई अधोसंरचना का निर्माण

किया जायेगा । चालू वर्ष की भांति आगामी वर्ष में भी अधोसंरचना विकास के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं । लोक निर्माण विभाग के लिये कुल 757 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है । जल संसाधन विभाग के लिये कुल प्रावधान 540 करोड़ रूपये है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है । सामाजिक क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग के लिये 822 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है । स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रावधान में 7 प्रतिशत तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये 22 प्रतिशत की वृद्धि प्रावधानित की गई है ।

43. अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में कहा, राज्य के बजट में आयोजना व्यय पर सर्वाधिक जोर दिया गया है और आयोजनेत्तर व्यय को कम करने का प्रयास किया गया है । वर्तमान वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आयोजनेत्तर व्यय में मात्र 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि आयोजना व्यय में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि होगी । आयोजनेत्तर व्यय में धान उपार्जन से होने वाली संभावित हानि की प्रतिपूर्ति के लिये 224 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

44. ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा एक मध्यावधि वित्तीय सुधार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसमें सभी राज्यों को वित्तीय सुधारों पर केन्द्र से प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी । राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में केन्द्र सरकार को समस्त आवश्यक जानकारी भेजी जा चुकी है और यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2004-05 तक राज्य का राजस्व घाटा शून्य कर दिया जाए । केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सुधार कार्यक्रम की सफलता का आकलन प्रत्येक वर्ष राजस्व घाटे के कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत की समीक्षा द्वारा किया जायेगा । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.2 प्रतिशत अनुमानित किया गया था वह पुनरीक्षित अनुमान में घटकर 8.6 प्रतिशत हो गया है । आगामी वर्ष में राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों का मात्र 4.6 प्रतिशत होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि वर्ष 2004-05 में राजस्व घाटा शून्य हो जाए । यह तभी संभव है, जब राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ें और राजस्व व्यय सीमित किया जाए । बेहतर कर तथा

करेत्तर राजस्व संग्रहण तथा केन्द्रीय योजनाओं में अधिक प्राप्ति के प्रयास सभी विभागों द्वारा किये जाने होंगे ।

भाग दो

45. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्व वृद्धि के उपायों के बारे में सदन को बताना चाहूँगा । जैसा कि आप अवगत होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों की सहमति के आधार पर 01 अप्रैल, 2003 से छत्तीसगढ़ राज्य में भी नई कर प्रणाली वेट लागू की जाएगी। यह नई कर प्रणाली अपेक्षाकृत सरल एवं पारदर्शी होने से उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा मिलेगा एवं समग्र रूप से आर्थिक विकास होगा। छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित ''वेट'' विधेयक महामहिम राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है । महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् यह विधेयक सदन के इसी सत्र में लाया जाएगा । अतः प्रचलित वाणिज्यिक कर अधिनियम में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है ।

46. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको स्मरण होगा, गत वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह कहा था कि राजस्व बढ़ाने की हमारी रणनीति का मुख्य आधार कर की दरों में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि कर दरों में युक्तियुक्तकरण करना, कर प्रक्रिया को सरल बनाना तथा कर प्रशासन को चुस्त बनाना है। इस दिशा में वर्ष 2002-03 के बजट में हमने कई प्रस्ताव रखे थे। मुझे सदन को यह बताने में अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि इन प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन से अच्छे परिणाम मिले हैं। जहाँ एक ओर बंद पड़े या बंद होने के कगार पर खड़े हुए उद्योग पुनर्जीवित हुए हैं, स्थानीय औद्योगिक इकाईयाँ प्रतिस्पर्धा में उभर पाई हैं एवं उनके उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राज्यीय व्यापार को भी बढ़ावा मिला है। इससे प्रदेश के विक्रय कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इस वर्ष प्रथम दस माह की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर से प्राप्त राजस्व में 26% की वृद्धि हुई है । राजस्व में वृद्धि की यह दर भारत वर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है ।

47. अध्यक्ष महोदय, हमारी इसी रणनीति को आगे जारी रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए न तो कोई नया कर प्रस्तावित कर रहा हूँ, न ही प्रचलित कर की दरों में कोई वृद्धि प्रस्तावित कर रहा हूँ । हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कर की दरों में युक्तियुक्तकरण होने से तथा चुस्त कर प्रशासन से राजस्व में वृद्धि होती है।

48. अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर एवं वृत्ति कर की दरों में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ :-

(1) प्रदेश में स्थित लघु केमिकल्स उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित केमिकल्स पर केंद्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी । इससे रुपए 20 लाख का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है ।

(2) अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेडिमेड वस्त्र, जूट क्लॉथ एवं जूट रस्सी पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की जाएगी । इससे रुपए 30 लाख की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति संभावित है ।

(3) आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य तेल, किराना सामान एवं होजयरी वस्तुओं पर प्रचलित 0.5 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा । इस प्रकार के युक्तियुक्तकरण से कर अपवंचन की प्रवृत्ति कम होगी एवं इससे रुपए 1 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है ।

(4) प्रदेश के लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से राज्य के बाहर से निर्माण में उपयोग के लिए आयातित स्टील ट्यूब पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया जाएगा । इससे लगभग रुपए 30 लाख का अतिरिक्त राजस्व संभावित है ।

(5) स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एस.टी.डी./पी.सी.ओ. पर वृत्ति कर समाप्त किया जाएगा ।

49. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं वीडियो सी.डी. एवं केबल नेटवर्क के प्रसारण से छविगृहों की हालत अत्यंत खराब हो गई है । इनमें से कई सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं एवं अन्य कई बंद होने जा रहे हैं । इससे सिनेमा उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है । अतः सिनेमा उद्योग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मनोरंजन कर की दरों में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ :-

(1) छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ''छत्तीसगढ़ी बोली में निर्मित फिल्म'' को मनोरंजन कर से मुक्त रखा जाएगा ।

(2) अत्याधुनिक तकनीक से बनने वाले सिनेमा गृह निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''मल्टीप्लेक्स'' को 8 वर्ष की अवधि के लिए मनोरंजन कर से मुक्त रखा जाएगा ।

(3) मनोरंजन कर की प्रचलित दर 75 प्रतिशत को घटाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा ।

(4) 10 हजार की जनसंख्या तक क्षेत्र में स्थित सिनेमा गृहों को मनोरंजन कर से मुक्त रखा जाएगा ।

मनोरंजन कर की दरों में उपर्युक्त युक्तियुक्तकरण से कर अपवंचन प्रवृत्ति पर रोक लगेगी एवं राजस्व में वृद्धि होगी ।

50. माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विभिन्न कारणों से गत वर्षो में राज्य शासन व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित कर रहा था । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासन की भूमिका में बदलाव आया है, व्यापारिक गतिविधियॉ स्वयं संचालित करने की अपेक्षा राज्य शासन का दायित्व अब एक ऐसा वातावरण बनाने का है जिसमें निजी क्षेत्र के उद्यमी आगे आकर निर्माण तथा व्यापारिक गतिविधियों

को आगे बढ़ायें । पूर्व में अर्जित तथा निर्मित ऐसी परिसम्पत्तियाँ हैं, जिनकी अब राज्य शासन को आवश्यकता नहीं है । ऐसी परिसम्पत्तियों के विक्रय से शासन को एक ओर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा । मध्यप्रदेश राज्य गृह निर्माण मण्डल तथा मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की परिसम्पत्तियाँ बंटवारे में राज्य शासन को प्राप्त हो रही हैं । इनमें विकसित तथा अविकसित भूमि, भवन तथा मशीनरी आदि सम्मिलित हैं । इनके विक्रय तथा विनिवेश से आगामी वर्ष में लगभग 50 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व संग्रहण संभावित है । अन्य निगमों और मण्डलों आदि के विभाजन से प्राप्त होने वाली परिसम्पत्ति की आवश्यकता का भी आकलन किया जायेगा और अनावश्यक होने पर उसके विक्रय तथा विनिवेश की व्यवस्था भी की जायेगी ।

51. जैसा मैंने पूर्व में बताया, खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण, खोज तथा व्यापार राज्य की आय का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्त्रोत है जिसमें अपार वृद्धि की संभावना है । अब तक खनिज क्षेत्र से हमारी आय का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोयले से प्राप्त होने वाली रायल्टी से आता है । अन्य प्रमुख खनिजों के सर्वेक्षण का कार्य वृहद स्तर पर लिया गया है । कोयला प्रयोगशाला की स्थापना से कोयले की गुणवत्ता के आधार पर सही ग्रेडिंग की जा सकेगी और इससे रायल्टी प्राप्तियों में वृद्धि संभावित है । राज्य खनिज विकास निगम, निजी कम्पनियों तथा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आगामी वर्ष में लौह अयस्क, बाक्साइट, कोरन्डम तथा टिन के उत्खनन कार्य भी आरम्भ हो जायेंगे । राज्य की सीमाओं पर कम्प्यूटराईज्ड तौलकांटों की स्थापना से खनिजों के अवैध परिवहन तथा कर अपवंचन को रोकने में सहायक होगी । उपरोक्त उपायों से खनिज क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व संग्रहण संभावित है ।

52. राज्य शासन द्वारा सड़क परिवहन निगम की स्थापना न किये का निर्णय लिया गया है । अधिक से अधिक मार्गों पर निजी क्षेत्र को रूट परमिट दिये जायेंगे । इससे लगभग 15 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व संग्रहण संभावित है ।

53. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के वित्तीय संतुलन को बनाये रखने के लिये राज्य सरकार उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त कर प्रशासन में सुधार, कर वसूली में वृद्धि तथा वित्तीय अनुशासन का पालन करेगी । शासकीय व्यय में मितव्ययिता के आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं । इन उपायों के माध्यम से बजट घाटे को सीमित किया जायेगा । मुझे विश्वास है कि इस बजट के माध्यम से राज्य के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा । इस विश्वास के साथ मैं वार्षिक बजट तथा वित्त विवरण वर्ष 2003-04 माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।

धन्यवाद, जय हिंद ।